गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4584/स्था./प्रशा./2004 बिलासपुर, दिनांक 27-05-2004

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.03.2004 विषय क्रमांक-6 के निर्णयानुसार गुणानुक्रम में प्रथम अंकित डॉ0 अमित कुमार सक्सेना की नियुक्ति आचार्य, सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वेतनमान रूपये 16400-450-20900-500-22400 में अस्थायी रूप से प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकेगी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है ।

उन्हें वेतन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे ।

परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने, विभाग, पद की समाप्ति पर या इनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने पर एक माह की सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन देकर इन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है ।

इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्रस्तुत विधिक शपथ पत्र में वर्णित शर्तो के अधीन की गई है । प्रस्तुत जानकारी गलत पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा । आदेश प्रसारण तिथि से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है ।

इनकी सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत यथा समय लागू परिनियम-31 एवं अध्यादेश-4 के अधीन होगी।

इस नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा ।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

(सोनमणि बोरा)
आई.ए.एस.
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4585/स्था./प्रशा./2004 बिलासपुर, दिनांक 27-05-2004

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ ।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव,, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) ।
05. सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) ।
06. डॉ0 अमित सक्सेना, डी-16, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय केम्पस, कोनी, बिलासपुर (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि ये दिनांक 14.06.2004 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें । कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
07. प्रभारी विभागाध्यक्ष(सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान), गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. उपकुलसचिव (प्रशा./स्था.)/वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. संबंधित नस्ती ।

उपकुलसचिव (प्रशा./स्था.)